04.10.22. पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप०। पत्रावली पर मौजूद वाद पत्र, राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत शपथ पत्रों, तथ्यात्मक रिपोर्ट तह० सीलदार दिनांक 16.09.22 व संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट जांच पटवारी दिनांक 20/05/22 का अध्ययन, अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया है। जिससे जाहिर है कि वादिया ने स्वयं को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज मृतक खातेदार जोधा पु० नन्दा के मृत पुत्र चेतराम की एकमात्र वारिस बताते हुये वादग्रस्त आराजी में जोधा पु० नन्दा के दर्ज हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। जबकि रिपोर्ट पटवारी दिनांक 20.5.22

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सारा देवी बनाम तहसीलदार

वर्ष 2016

किस्म मुकदमा घोषणात्मक नम्बर 296

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में पटवारी हल्का द्वारा गांव की चौपाल पर मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ करने पर चेतराम पुत्र जोधा के वादिया सारा देवी के अलावा अन्य भी वारिस है अतः वादिया ने वाद पत्र तथ्य छिपाकर अपूर्ण तथ्यों से पेश किया है, आवश्यक पक्षकार भी संयोजित नहीं किये है अतः वाद पत्र वादिया चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर निर्णित किया जाता है।	
	(हस्ताक्षर) ०५/१०/२०२२ (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	आदेश उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद पत्र वादिया अस्वीकार कर खारिज कर निर्णित किया जाता है उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) ०५/१०/२०२२ (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	